



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी छिन्दगढ़, जिला-सुकमा (छ0ग0)

sdmchhindgarh@gmail.com

// ज्ञापन //

क्रमांक/ 59 /प्रस्तु./अ.वि.अ.(रा.)/2024
प्रति,

प्रभारी अधिकारी
(एन.आई.सी.)
जिला-सुकमा (छ0ग0)



विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत जारी अधिसूचना को राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु।
संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सुकमा का अधिसूचना क्रमांक/354/रीडर/अ-82/2022-23 दिनांक 05/02/2024

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम कांजीपानी से चिपुरपाल मार्ग के कि.मी. 2/4 गोरली नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग प्रयोजन के लिए निजी भूमि कुल क्षेत्रफल 0.260 हे. अर्जन हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर महोदय, जिला सुकमा के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत अधिसूचना जारी किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- अधिसूचना।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
छिन्दगढ़, जिला सुकमा (छ0ग0)
छिन्दगढ़, दिनांक 05/02/2024

पृ.क्रमांक/ 59A /प्रस्तु./अ.वि.अ.(रा.)/2024

प्रतिलिपि :-

- 1/ कलेक्टर महोदय (भू-अर्जन शाखा) जिला-सुकमा, की ओर सादर सूचनार्थ। एवं कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।
- 2/ तहसीलदार छिन्दगढ़/तोंगपाल को सूचनार्थ एवं संलग्न अधिसूचना को कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।
- 3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छिन्दगढ़ को सूचनार्थ एवं संलग्न अधिसूचना को कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।
- 4/ सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कांजीपानी/चिपुरपाल को सूचनार्थ एवं संलग्न अधिसूचना को कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।
- 5/ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0), छिन्दगढ़ के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
छिन्दगढ़, जिला सुकमा (छ0ग0)

**कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा**

// अधिसूचना //

क्रमांक /354/रीडर/अ-82/2022-23

दिनांक 5/02/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का ग्राम कांजापानी से चिपुरपाल मार्ग के कि.मी. 2/4 गोरली नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम-2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

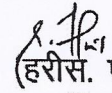
भूमि का वर्णन :-

- 1- जिला - सुकमा
- 2- तहसील - छिन्दगढ़
- 3- ग्राम - कांजीपानी
- 4- भूमि का क्षेत्रफल - 0.260 हे.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
1	2	3	4
1	सुखराम पिता रामधर, जाति हल्बा, पता ग्राम कांजीपानी	740	0.040
2	महादई पति सुकदास, जाति हल्बा, पता ग्राम कांजीपानी	742	0.110
		743/4	0.070
4	सुमित्रा बघेल पति दशरो, जाति हल्बा, पता कांजीपानी	745	0.040
योग-		कुल खसरा संख्या-04	0.260

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोण्टा में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि का अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(हरीस. एस)

कलेक्टर, जिला सुकमा
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग